

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 61/2023

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 जा.दी.

निर्णय दिनांक 18/07/24

अतरसिंह वगै०

बनाम

सुभाष वगै०

## प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 जा.दी.व मुकदमे अतरसिंह वगै० बनाम सुभाष वगै०

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 जा.दी. के तहत प्रतिवादी प्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 सुभाष पुत्र रामदयाल, रामअवतार पुत्र रामगोपाल जाति जाट निवासी करीली द्वारा पेश किया जो कि संक्षिप्त में इस प्रकार है—

1. यह कि उक्त दावा वादीगण द्वारा 88, 89 व 188 आरटीए के तहत आराजी खसरा नंबर 1612, 1908, 1909, 1910 किता 4 रकबा 0.35 है० वाके ग्राम करीली तहसील नदबई की बाबत असल अप्रार्थीगण के विरुद्ध वयनामा दिनांक 29.10.1983 को वातिल व बेअसर घोषित कराने एवं खातेदारी प्राप्त करने का तहरीरी तारीखी 16.10.2020 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है।
2. यह कि विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 1612, 1908, 1909, 1910 को साबिक आराजी खसरा नंबर 1421, 1912, 1911 से बंदोबस्त विभाग द्वारा बनाया गया है मिलान क्षेत्रफल प्रार्थना पत्र में अंकित है।
3. यह कि दिनांक 10.11.1982 को डोरी, किरोडी पुत्र चिरंजी, सुगडसिंह, शिबो, अतरसिंह, ज्ञानसिंह पुत्र खुन्नी के द्वारा एक विक्रय इकरार पत्र आराजी खसरा नंबर 1911, 1912 की बाबत रामगोपाल व रामदयाल के हक में किया गया था उसके बाद दिनांक 29.10.1983 को किरोडी, डोरी पुत्रगण चिरंजी एवं परभाती बेवा खुन्नी, सुगडसिंह, शिबो, अतरसिंह, ज्ञानसिंह पुत्र खुन्नी द्वारा आराजी खसरा नंबर 1421, 1911, 1912 का विक्रय पत्र रामअवतार पुत्र रामगोपाल एवं सुभाष पुत्र रामदयाल द्वारा प्रतिफल राशि लेकर उपपंजीयक नदबई के यहां पंजीकरण करा दिया एवं मौके पर कब्जा भी संभाल दिया। कब्जे का उल्लेख विक्रय पत्र में भी किया गया है। और वारोज से प्रतिवादीगण असल द्वारा मुताबिक विक्रय पत्र विवादित आराजी का कब्जा भी संभाल दिया जो आज तक बदस्तूर है।
4. यह कि विक्रय के आधार पर विवादित आराजी का नामान्तरण नहीं हो पाया अन्ततः यह सही कि नामा. हेतु कार्यवाही शुरू नहीं की गई किरोडी की शादी नहीं हुई और कोई औलाद व पत्नी भी नहीं थी इसलिए उसके द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी समस्त हिस्से की आराजी जिसमें विक्रयशुदा आराजी भी सम्मिलित थी का एक विक्रय पत्र दिनांक 20.07.1998 को हरवीर, थानसिंह पुत्र डोरी, समन्दर पुत्र सुगडसिंह, शिबो व अतरसिंह पुत्र खुन्नी के हक में तस्दीक करा दिया जबकि आ०ख०न० 1421, 1912, 1411 किरोडी द्वारा पूर्व में ही दिनांक 29.10.83 को विक्रय कर दिया गया था। सबसीक्यून्ट सेल डीड का कोई कानूनी महत्व नहीं था लेकिन विक्रय पत्र दिनांक 20.07.1998 के आधार पर नामा० संख्या 739 से किरोडी के हिस्से पर इन्द्राज हो गए एवं उसी वक्त असल अप्रार्थीगण के पक्ष में हुए विक्रय पत्र दिनांक 29.10.1983

प्रति

उपखण्ड अधिकारी  
नदबई (भरतपुर)



का भी नामा 0 संख्या 914 से इन्द्राज हो गए किरोडी के हिस्से वाली आराजी का दाखिला खारिज तस्दीक नहीं हुआ था।

5. यह कि जब नामा 0 सं 914 से इन्द्राज असल अप्रार्थीगण के हक में इन्द्राज जो किए गए तो उसी वक्त डोरी व किरोडी, सुगड, शिबो, अतरसिंह, राजसिंह द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई जबकि अतरसिंह, पुत्र खुन्नी के हस्ताक्षर विक्रय पत्र पर हैं एवं डोरी व सुगडसिंह के भी हस्ताक्षर विक्रय पत्र पर हैं। यही नहीं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत मौजूदा दावा रामअवतार वगै 0 बनाम समन्दर वगै 0 दावा इस्तकरार हक एवं हुकम इम्तनाई दवामी अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 आरटीए में शिबो पुत्र खुन्नी द्वारा इककाल वाना प्रस्तुत कर इकरारनामा दिनांक 10.11.1982 एवं विक्रय पत्र दिनांक 29.10.1983 को दिया जाना स्वीकार किया है जो कि विक्रय पत्र दिनांक 29.10.1983 किरोडी सहित डोरी व खुन्नी के वारिसान द्वारा रामअवतार व सुभंग के हक में पंजीबद्ध करा दिया लेकिन उसके बाद किरोडी द्वारा किरोडी के कोई संतान न होने के कारण अपने समस्त हिस्से की आराजी जिसमें खसरा कुल 16 दर्ज किए गए थे। जिसमें किरोडी द्वारा तीन खसरा नंबर दिनांक 29.10.83 को विक्रय कर दिए गए तो किरोडी द्वारा उक्त खसरा नंबरान की बावत् दिनांक 20.07.98 को किया गया विक्रय पत्र पश्चातवर्ती विक्रय पत्र की श्रेणी में आता है तो उससे दिनांक 27.07.98 में किरोडी द्वारा किए गए विक्रय पत्र से किए गए व्यक्तियों को कोई हक व हकूक नहीं मिलते हैं। दिनांक 27.07.98 के विक्रय पत्र को नल एण्ड बोर्ड घोषित करने एवं पूर्व विक्रय पत्र दिनांक 29.10.83 के आधार पर किरोडी के हिस्से की आराजी के बावत् घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है।
6. यह कि वादीगण द्वारा उक्त दावा प्रतिवादीगण असल के पक्ष में हुए वयनामा दिनांक 29.10.83 को वातिल व बेअसर घोषित कराने का प्रस्तुत किया गया है। जिसको सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को हासिल है क्योंकि वॉइडेवल वयनामा को निरस्त व कैंसिल करने व वातिल व बेअसर करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय को तो केवल कोई विक्रय पत्र शून्य है और विक्रेता को कोई अधिकार विक्रय करने का नहीं होता है, राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार हांसिल है।
7. यह कि प्रतिवादीगण असल के पक्ष में विक्रय दिनांक 29.10.83 को विक्रेताओं द्वारा उपस्थित होकर विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराया गया है जिसमें प्रतिफल राशि लेकर कब्जा देने का उल्लेख किया गया है जो कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है। विक्रेता शिबो द्वारा असल प्रतिवादीगण के दावे में इकबाल दावा देकर विक्रय पत्र दिनांक 29.10.83 को किया जाना स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में उक्त दावा बेसलेस होने से काबिल खारिजी के है।
8. यह कि दिनांक 29.10.83 के विक्रय पत्र के आधार पर असल प्रतिवादीगण के पक्ष में नामा 0 भी तस्दीक हुआ है उक्त नामा 0 के विरुद्ध भी कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही किसी सिविल न्यायालय में विक्रय पत्र को चैलेंज किया गया है। विक्रय पत्र को करीबन 37 साल हो चुके हैं।
9. यह कि एक दावा समन्दर, अतरसिंह, थानसिंह, भगवती व शिबो द्वारा अंतर्गत धारा 188 आरटीए विवादित आराजी के बावत् दिनांक 28.11.19 को प्रस्तुत किया गया उक्त दावे में वादीगण के शीर्षक का नाम शिबो पुत्र खुन्नी अंकित किया गया है लेकिन दावे में किसी भी पृष्ठ पर शिबो के हस्ताक्षर नहीं हैं। दावे में यह अंकित किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण मनबट के आधार पर काश्त करते चले आ रहे हैं जिससे यह साबित होता है कि सुभंग व


14

उपखण्ड अधिकारी  
नदबई (भरतपुर)

रामअवतार का विवादित आराजी पर कब्जा है। जबकि उक्त बिकरण में तहसीलदार नदबई द्वारा मौका रिपोर्ट के पुख्ता मकान, 1909, 1910 में फसल सरसों की खड़ी होना बताया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण अस्तित्व स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण इसी स्टेज पर खारिज कर दिया जाए।


अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश नं. नियम 11 व 151 जा0दी0 पेश किया गया जो संक्षिप्त में इस प्रकार है-

1. यह कि प्रार्थना पत्र में अंकित दिनांक 10.11.1982 को डोरी, किरोडी पिता चिरंजी, सुगडसिंह, शिबो, अतरसिंह, ज्ञानसिंह पिता खुन्नी के द्वारा कोई भी विक्रय इकरार पत्र आराजी ख0नं0 1911, 1912 के बावत रामगोपाल व रामदयाल के हक में नहीं किया गया। न ही दिनांक 29.10.83 को 1421, 1911, 1912 कोई भी वयनामा कराया गया और न ही प्रतिफल राशि प्राप्त की। प्रतिवादीगणों रामअवतार व सुभाष का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा उक्त तथ्य झूठे अंकित किए गए हैं।
2. यह कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में कोई वयनामा उक्त दिनांक को नहीं कराया गया। सन् 1983 से 1990 तक प्रतिवादी संख्या 1 का भाई भगवानसिंह व भाभी ग्राम पंचायत करीली के सरपंच रहे। अगर वयनामा कराया गया होता तो इस बीच प्रतिवादीगण नामान्तरण करा लेते। किरोडी के कोई संतान नहीं होना स्वीकार है। दिनांक 23.10.83 को कोई वयनामा खसरान नंबर 1421, 1912, 1911 या अन्य किसी नंबर का नहीं कराया गया जब दिनांक 29.10.83 को कोई वयनामा नहीं कराया गया ऐसी स्थिति में दिनांक 27.7.98 का वयनामा ही प्रथम वयनामा है। विक्रय पत्र दिनांक 27.7.98 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 739 किरोडी के बजाय खरीददारान के पक्ष में किया जाकर अगल दरामद खातेदारी की गई। वयनामा दिनांक 29.10.83 वातिल व बेअसर है। दिनांक 27.07.98 के वयनामा को प्रार्थीगण प्रतिवादीगण नल एण्ड वोइड घोषित करा पाने के अधिकारी नहीं है। नामा0 संख्या 914 प्रतिवादीगण ने सुपचुप तरीके से राजस्व अभियान करीली में कराया गया था जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं हुई। उक्त तथ्य की जानकारी वादीगण को सन् 2020 में हुई थी। इस पर वादीगण ने तथाकथित वयनामा दिनांक 29.10.1983 को वातिल बेअसर कराने हेतु दावा उनवानी अतरसिंह वगै0 बनाम सुभाष वगै0 अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत अदालत में प्रतिवादीगण संख्या 2 के विरुद्ध बिना देशी के प्रस्तुत कर दिया। अगर वयनामा दिनांक 29.10.83 को वयनामा कराया गया होता तो उन्होंने 2000 तक नामा0 क्यों नहीं कराया गया। इंतकाल संख्या 914 दिनांक 23.10.2001 में प्रतिवादीगण द्वारा कराया गया था जबकि प्रतिवादीगण के भाई व भाभी सन् 1983 से सन् 1998 तक ग्राम पंचायत करीली के सरपंच रहे थे। दिनांक 10.11.1982 को कोई भी इकरारनामा डोरी किरोडी वगै0 द्वारा रामगोपाल व रामदयाल के पक्ष में नहीं किया। किरोडी द्वारा दिनांक 27.7.1998 को इरवीरसिंह, थानसिंह, समन्दरसिंह, शिबो, अतरसिंह के पक्ष में अपने हिस्से की आराजी का प्रतिफल लेकर वयनामा किया जाना स्वीकार है। जिसका इंतकाल संख्या 939 दिनांक 9.9.1998 खोला जाकर व तस्दीक किया जाकर अगल दरामद खातेदारी की गई। किरोडी ने केवल 27.7.98 को उक्त इरवीरसिंह वगै0 के पक्ष में ही वयनामा कराया था। उक्त वयनामा पश्चातवर्ती वयनामा न होकर प्रथम वयनामा है। उक्त विक्रय पत्र की जानकारी प्रार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को वयनामा के दिनांक से पूर्व से ही थी तथा इंतकाल संख्या 914 प्रार्थीगण प्रतिवादीगण ने कैम्प करीली में तथाकथित

  
सुपखण्ड अधिकारी  
नदबई (भरतपुर)

- वयनामा 29.10.83 के आधार पर गुपचुप व गलत तरीके से विवादित आराजी के 2/3 हिस्से पर कराया था तथा 1/3 हिस्सा नादेगण व शिबो खातेदार दर्ज था तथा उक्त तथ्य की जानकारी प्रार्थीगण प्रतिवादीगणों को हो चुकी थी तथा वयनामा रजि० दिनांक 27.7.98 की भी उन्हें पूर्ण जानकारी हो गई थी। इसके बावजूद तथाकथित वयनामा 29.10.83 नल एण्ड वोर्ड होने से उन्होंने दिनांक 27.7.98 के वयनामा रजिस्टर्ड वाहक वादीगण व अन्य बावत् कोई कार्यवाही नहीं की। कोई दावा नहीं किया गया इससे भलीभांति साबित है कि तथाकथित वयनामा दिनांक 29.10.83 वातिल व बेअसर है।
3. यह कि वयनामा दिनांक 29.10.83 का बताया गया है तथा नामा० दिनांक 23.10.2001 को कराया गया है जबकि प्रार्थीगण प्रतिवादीगण पढे लिखे व्यक्ति है व राजनैतिक परिवार से हैं तथा उनकी तीन पीढी सरपंच रहे हैं। शून्य व बेअसर वयनामा होने से उन्होंने 18 वर्ष तक नामा० नहीं खुलवाया तथा उक्त नामा० की जानकारी अप्रार्थीगण वादीगण को सन 2020 में हुई है। दिनांक 27.7.98 के वयनामा जिसका नामा० संख्या 739 दिनांक 9.9.1998 को खोला जाकर तस्दीक किया गया व अमल दरामद खातेदारी वाहक अप्रार्थीगण वादीगण की गई थी, वयनामा को करीब 23 वर्ष हो चुके हैं तथा अमल दरामद खातेदार को भी इतना ही समय हो चुका है। जबकि प्रार्थीगण प्रतिवादीगण को दाखिला खारिज की जानकारी 23.10.2001 को ही पूर्णतः हो चुकी थी अप्रार्थीगण वादीगण ने दिनांक 29.10.1983 को प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में कोई वयनामा नहीं कराया तथा डोरी किरोडी वगै० ने भी विवादित आराजी कोई वयनामा प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में नहीं कराया। अतः जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण प्रतिवादीगण वादीगण के दावा को कानूनन खारिज करा पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा.दी. मैनटेबिल नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत 7 नियम 11 व 151 जा०दी० के तहत सुनी गई तथा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया तो पाया कि वादी अतरसिंह वगै० वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया जिसमें वादी संख्या 1 लगा० 4 एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 की पुश्तैनी आराजी बतलाकर खातेदारी घोषणा चाही गई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 2/3 हिस्से के खातेदारी कलमजन किए जाने एवं वयनामा दिनांक 29.10.83 को वातिल व बेअसर बताया गया है। वादपत्र में दर्ज विवादित आराजी खसरा नंबर 1612, 1908, 1909, 1910 वाके ग्राम करीली में स्थित है जिसके साबिक खसरा नंबर 1421, 1912 और 1911 है। दिनांक 10.11.1982 को डोरी, किरोडी पुत्रान चिरंजी, सुगडसिंह, शिबो, अतरसिंह, ज्ञानसिंह पुत्रान खुन्नी के द्वारा एक विक्रय इकरार पत्र आराजी खसरा नंबर 1911 व 1912 को रामगोपाल व रामदयाल के हक में किया गया है। उसके उपरान्त दिनांक 19.10.1983 को किरोडी, डोरी पुत्रान चिरंजी एवं परभाती वेवा खुन्नी, सुगडसिंह, शिबो, अतरसिंह, रामसिंह पुत्रान खुन्नी द्वारा आराजी खसरा नंबर 1421, 1911, 1912 का विक्रयपत्र रामअवतार पुत्र रामगोपाल एवं सुभाष पुत्र रामदयाल प्रतिफल राशि लेकर उप पंजीयक नदबई के यहां तहरीर करा दिया। उक्त वयनामा पत्रावली में संलग्न से साबित होता है। उक्त विक्रयपत्र का नामान्तरकरण नहीं हो सका। किरोडी द्वारा अपने जीवनकाल में


  
**उपखण्ड अधिकारी**  
**नदबई (भरतगार)**

अपनी समस्त हिस्से की आराजी जिसमें विक्रयशुदा आराजी भी सम्मिलित थी जिसका एक और विक्रयपत्र दिनांक 27.07.1998 को हरवीर, थानसिंह पुत्र डोरी, समन्दर पुत्र सुगडसिंह, शिबो व अतरसिंह पुत्र खुन्नी के हक में दस्तौद करा दिया इस प्रकार आराजी खसरा नंबर 1421, 1912, 1911 किरोडी द्वारा पूर्व में ही दिनांक 29.10.83 को विक्रय किया जा चुका था लेकिन सब्सीक्यूट सेलडीड का कोई कानूनी महत्त्व नहीं रहा था परन्तु विक्रय पत्र दिनांक 27.07.1998 के आधार पर नामा संख्या 739 से किरोडी के हिस्से पर खातेदारी इन्द्राजात हो गई जो कि पत्रावली में मौजूद नकल नामा0 संख्या 739 से साबित है। तथा असल प्रतिवादीगण के पक्ष में हुए विक्रय पत्र दिनांक 19.10.83 का भी इन्द्राजात खारिज संख्या 914 से हो गए परन्तु किरोडी के हिस्से की आराजी का दाखिला खारिज नहीं हुआ जो नकल नामान्तरकरण से साबित है। जब नामा0 संख्या 914 के इन्द्राजात असल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में हो गए थे उस समय डोरी व किरोडी वगै० द्वारा किसी प्रकार की कोई उजदारी नहीं की गई जबकि अतरसिंह पुत्र खुन्नी के हस्ताक्षर भी विक्रय पत्र पर है। एवं डोरी व सुगडसिंह के भी विक्रयपत्र पर हस्ताक्षर हैं तथा प्रतिवादीगण द्वारा दावा रामअवतार बनाम समन्दर वगै० में भी शिबो पुत्र खुन्नी द्वारा इकबाल दावा पेश किया गया तर्था इकरारनामा दिनांक 10.11.82 एवं विक्रयपत्र दिनांक 29.10.83 को दिया जाना स्वीकार किया गया जो विक्रयपत्र 29.10.83 किरोडी सहित डोरी व खुन्नी के वारिसान द्वारा रामअवतार व सुभाष के हक में पंजीबद्ध करा दिया उसके उपरान्त किरोडी द्वारा अपने समस्त हिस्से की आराजी जिसमें कुल खसरा नंबर 16 दर्ज किए गए थे जिसमें किरोडी द्वारा तीन खसरा नंबरान का दिनांक 29.10.83 को विक्रय किए गए तो किरोडी द्वारा खसरा नंबरान की दिनांक 27.7.98 को किया गया विक्रयपत्र पश्चवर्ती विक्रयपत्र की श्रेणी में आता है। दिनांक 27.07.98 में किरोडी द्वारा किए गए विक्रयपत्र से किए गए व्यक्तियों को कोई हक प्राप्त नहीं होते हैं इसके अलावा वादी द्वारा वादपत्र असल प्रतिवादीगण के पक्ष में हुए वयनामा दिनांक 29.10.83 को बातिल व बेअसर करने का वादपत्र पेश किया गया है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है न कि राजस्व न्यायालय को है। तथा वाईडेबल वयनामा को निरस्त व कैंसल करने का तथा बातिल व बेअसर करने का अधिकार भी सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को कोई विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का अधिकार है और विक्रेता को कोई अधिकार विक्रय करने का नहीं होता है तो राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार हासिल हैं। उक्त वादपत्र वादी का आधारहीन साबित होता है तथा विक्रयपत्र दिनांक 29.10.83 के आधार पर असल प्रतिवादीगण के पक्ष में किये गये जिसका नामा0 के विरुद्ध भी कोई अपील भी पेश नहीं की गई न ही वयनामाओं को सिविल कोर्ट में चैलेंज किया है तथा समन्दर वगै० द्वारा दावा 188 आरटीए का विवादित आराजीयात बाबत् पेश किया गया है जो शिबो पुत्र खुन्नी अंकित किया गया जिस पर शिबो के हस्ताक्षर भी नहीं थे इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से साबित है। इस संबंध में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा विभिन्न नजीरें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अजमेर मु० भूरीबाई बनाम शम्भूलाल वगै० आरआरटी 2021 पेज 1120 से 1133 में भी पश्चवर्ती विक्रय अभिलेख के आधार पर संपत्ति में अधिकार व स्वत्व नहीं है। उद्धरण डीएनजे 2021 610 मनीराम बनाम मामकोरी वगै०, डीएनजे 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 644 आरके रोजा बनाम यूएस रायडू, आरआरटी 2023 (2) राजस्थान उच्च न्यायालय पेज 922 मैनाबाई बनाम दुर्गालाल, डीएनजे राजस्थान उच्च न्यायालय 2017 (1) अनन्तपाल सिंह राजपूत बनाम सुमेर सिंह राजपूत वगै० पेश की गई जो उक्त नजीरें उक्त प्रकरण पर लागू होती हैं। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 7 नियम 11 एवं 151 जा०दी० काबिल स्वीकार योग्य है।

143  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नदबई (भरतपुर)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 व 151 जा. दी. के तहत स्वीकार किया जाकर वादीगण का दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/07/24 को सुनाया गया। प्रार्थना पत्र फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

  
(गंगाधर मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
नदबई (भरतपुर)